जे. वी. गुप्ता और अमरजीत चौधरी न्यायमूर्ति के समक्ष

देव राज वोहरा और अन्य, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1985 की सिविल रिट याचिका संख्या 2351

15 सितंबर 1988.

पंजाब वित्तीय आयुक्त कार्यालय (राज्य सेवा वर्ग III) नियम, 1957- नियम 7(2) और (20)-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226 और 309-पदोन्नति-आरक्षण के लिए प्रावधान नहीं करने वाले नियम-कार्यकारी निर्देशों द्वारा बनाए गए आरक्षण का लाभ-की वैधता-नियम 20 सरकार को नियमों में ढील देने की शक्ति प्रदान करता है-आरक्षण पर नियम का प्रभाव, कहा गया है।

माना गया कि आरक्षण बनाने वाले प्रशासनिक निर्देशों ने पंजाब वित्तीय आयुक्त कार्यालय (राज्य सेवा वर्ग III) नियम, 1957 में किसी भी तरह से संशोधन नहीं किया है। वर्तमान मामले में नियम आरक्षण के संबंध में मौन हैं और कार्यकारी निर्देशों द्वारा इसे प्रदान किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए पदों को आरक्षित करने के कार्यकारी निर्देश संविधान में निहित उच्चतम आदेश के अनुसार वैध रूप से जारी किए गए हैं और उनके प्रभाव को भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, नियमों का नियम 20 राज्य सरकार को किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में नियमों में ढील देने का अधिकार देता है और इसलिए, अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण कार्यकारी निर्देशों/आदेश द्वारा किया जा सकता है और यह राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। सरकार को विधायी उपायों का सहारा लेना होगा।

(पैरा 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल रिट याचिका प्रार्थना:

(i) मामले के रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं;

(ii) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जा सकती है;

(iii) वैधानिक नियमों के विपरीत घोषित करने वाले प्रशासनिक निर्देशों, अनुबंध पी/2 को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए;

(iv) निर्देश, अनुलग्नक पी/2 के आधार पर जारी किए गए निजी उत्तरदाताओं के पदोन्नति आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति की रिट जारी की जाए;

(v) यह माननीय न्यायालय कोई भी आदेश पारित कर सकता है जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उचित समझे;

(vi)**याचिका** की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान इन निर्देशों, अनुलग्नक पी/2 के आधार पर पदोन्नति पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता के वकील आर.के. मलिक।

प्रतिवादियों की ओर से एम. एस. जैन, अतिरिक्त. ए.जी. हरियाणा वकील विनय जैन के साथ ।

आदेश

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) इस याचिका को डिवीजन बेंच ने मोशन सुनवाई के समय स्वीकार कर लिया था क्योंकि इसमें राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय पर विचार शामिल है, जो बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित करता है।

(2) याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं संख्या 3 से 10 को वित्तीय आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय में क्लर्क नियुक्त किया गया था, और उन्हें सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था। 9 फरवरी, 1979 को, हरियाणा राज्य ने निर्देश, अनुलग्नक पी-2 जारी किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। जहां पदोन्नति का आधार वरिष्ठता-सह-योग्यता है वहां आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और जहां पदोन्नति वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर दी जानी है वहां आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 से 8, हालांकि उनसे कनिष्ठ थे, उन्हें अनुलग्नक पी-2 के निर्देशों के मद्देनजर आरक्षण का लाभ देकर उप अधीक्षक और अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। ये निर्देश अनुलग्नक पी-2 हैं जो मुख्य रूप से इस आधार पर इस रिट याचिका में चुनौती के अधीन हैं कि पंजाब वित्तीय आयुक्त कार्यालय (राज्य सेवा वर्ग III) नियम, 1957 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित), जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाता संख्या 3 से 8 शासित हैं, इस प्रकार कोई आरक्षण प्रदान नहीं करते हैं और इसलिए कार्यकारी निर्देशों द्वारा नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 की ओर से दायर रिटर्न में, यह स्वीकार किया गया है कि उत्तरदाताओं संख्या 3 से 8 को अन्य बातों के साथ-साथ, उन्हें सरकारी निर्देश अनुलग्नक पी-2 में निर्धारित आरक्षण का लाभ देकर उप-अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। रिटर्न के पैराग्राफ 8 में, यह कहा गया है कि नियमों के नियम 7(2) में दिए गए अनुसार चयन द्वारा पदोन्नति के उद्देश्य से, सरकार ने दिनांकित निर्देशों के आधार पर वरिष्ठता-सह-योग्यता की एक विधि विकसित की है। 14/17 सितंबर, 1956 और 13 अप्रैल, 1972, रिटर्न में अनुलग्नक 'ए' और 'बी' के रूप में संलग्न हैं। रिटर्न के अनुसार, नियमों के नियम 7(2) के तहत, क्लर्क के पद से सहायक के पद पर पदोन्नति पूरी तरह से चयन द्वारा की जानी है और, चूंकि पदोन्नति के उद्देश्य के लिए चयन में दुरुपयोग की संभावना शामिल है, सरकार ने इसलिए, निर्देश अनुलग्नक 'ए' और 'बी' के अनुसार वरिष्ठता-सह-योग्यता की एक विधि विकसित की गई जिसके आधार पर उच्च पदों पर अधिकारियों का चयन किया जाना है। दूसरे शब्दों में, चूंकि नियमों के नियम 7(2) के तहत चयन अनुदेश अनुलग्नक 'ए' और 'बी' के कारण वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जाना है, अनुलग्नक पी-2 दिनांक 9 फरवरी , 1979 इन पदों पर लागू होते हैं और इसलिए, राज्य सरकार द्वारा आरक्षण सही किया गया है, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 को तदनुसार पदोन्नत किया गया है।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जब वैधानिक नियम चयन के लिए प्रदान करते हैं, जैसा कि नियम 7(2) में संदर्भित है, तो निर्देश अनुलग्नक पी-2 उक्त वैधानिक नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकता है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक फैसले का हवाला दिया जिसे पी.वी.एस. जनार्दन राव और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य(1), जिसमें अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है। उन्होंने श्री हरि दत्त कैंथला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य(2) मामले में दिए गए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें वरिष्ठता-सह-योग्यता और वरिष्ठता का दायरा- सह-फिटनेस पर चर्चा की गई है। दूसरी ओर, विद्वान अपर महाधिवक्ता. हरियाणा ने प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए पद आरक्षित करने के कार्यकारी निर्देश वैध थे क्योंकि इससे वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने कंवल प्रकाश आदि बनाम पंजाब राज्य(3) आदि मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला दिया।

(5) शायद यह देखा गया है कि नियम 201 विश्राम की शक्ति पर विचार करता है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: -

> "जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या अत्यावश्यक है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में ढील दे सकती है।

यह भी देखा जा सकता है कि रिटर्न के साथ दाखिल निर्देश अनुलग्नक 'ए' और 'बी', जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जाना है, को चुनौती नहीं दी जा रही है। इस रिट याचिका में. इसलिए, यह स्पष्ट है कि नियमों के नियम 7(2) के तहत चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जाना है। याचिकाकर्ताओं की ओर

---

(1) 1981 (3) एस.एल.आर. 614

(2) 1974 (1) एस.एल.आर. 208.

(3) आई.एल.आर. (1977)1 पंजाब और हरियाणा 40।

से उठाया गया तर्क कि, कार्यकारी निर्देशों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नहीं किया जा सकता है, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में कंवल प्रकाश (सुप्रा) द्वारा उत्तर दिया गया है। इसके पैराग्राफ 32 में की गई टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

> अब हम इस तर्क पर विचार कर सकते हैं कि क्या अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए पद आरक्षित करने के कार्यकारी निर्देश पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा वर्ग III) नियम, 1952 के विपरीत हैं या नहीं। ये नियम पंजाब के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रख्यापित किए गए हैं। इन नियमों में सरकार को अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए पद आरक्षण करने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 309 के शुरुआती शब्द "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं।" इसका तात्पर्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम संविधान के अन्य प्रावधानों को रास्ता देंगे, यदि और जब उनके बीच विरोधाभास के बारे में कोई सवाल उठाया जाता है। अनुच्छेद 46 और 335 के साथ पठित अनुच्छेद 16(4) के तहत जारी निर्देशों को एन. एम. थॉमस के मामले (सुप्रा) में कृष्णा अय्यर, जे. द्वारा संवैधानिक रूप से पवित्र निर्देशों के रूप में वर्णित किया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि पिछड़े वर्गों के सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य विधायी उपाय करे। जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, यह मामला एक श्रृंखला के आधार पर समाप्त होता है

मिसालें हीरा लाई बनाम मुख्य वन संरक्षक, पंजाब(4) में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार निर्णय दिया: -

> 'हालांकि, हमारे सामने मुद्दा यह नहीं है कि क्या कोई वैधानिक सेवा नियम, जो विभिन्न विभागों में पदोन्नति को नियंत्रित कर सकता है, किसी कार्यकारी निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि क्या किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों को फिर से आरक्षित करने का प्रावधान है। खंड (4) अनुच्छेद 16 के तहत नागरिक कर सकते हैं। प्रशासनिक आदेश द्वारा बनाया जाना चाहिए या

---

(4)

क्या कानून आवश्यक है। खंड (4) स्वयं इस उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी कानून की बात नहीं करता है और इस संबंध में इसे अनुच्छेद 16 के खंड (3) और (5) के साथ माना जा सकता है। एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य में, ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 649, यह निर्धारित किया गया था कि इस तर्क को निरस्त किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 15 के खंड (4) के तहत प्रावधान राज्य द्वारा केवल कानून द्वारा किया जा सकता है। यह देखा गया कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल शामिल हैं, और इसलिए, यह सुझाव देना अनुचित होगा कि राज्य का मतलब अनिवार्य रूप से विधानमंडल होना चाहिए, न कि सरकार। इसके अलावा, जहां संविधान का इरादा है कि एक निश्चित कार्रवाई कानून द्वारा की जानी चाहिए, न कि कार्यकारी कार्रवाई द्वारा, उसने उस संबंध में उपयुक्त वाक्यांशविज्ञान को अपनाया है, और इस संबंध में अनुच्छेद 16 के खंड (3) और (5) का संदर्भ दिया गया था। यह बिल्कुल अनुच्छेद 15 के खंड (4) के समान स्थिति में है

(6) फिर पैराग्राफ टी 35 में, ये टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

"सरकार यह आदेश देने वाली अंतिम प्राधिकारी है कि किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में नियमों के प्रावधानों में ढील दी जानी चाहिए। निर्देश सरकार की ओर से ही जारी किए गए हैं और इन निर्देशों को जारी करना क्यों जरूरी समझा गया, इसका कारण भी इसमें शामिल है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि छूट देने के लिए सरकार द्वारा एक स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए

(4) 66 का सीडब्ल्यू संख्या 271 का निर्णय 29 नवंबर, 1966 को हुआ।

हमें इस विवाद में कोई ताकत नजर नहीं आती. पी. बालाकोटैया बनाम भारत संघ और अन्य में, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 232, यह माना गया था कि जब कोई प्राधिकारी एक आदेश पारित करता है जो उसकी क्षमता के भीतर है, तो वह केवल इसलिए विफल नहीं हो सकता क्योंकि यह एक गलत प्रावधान के तहत बनाया गया है यदि इसे किसी अन्य नियम के तहत अपनी शक्तियों के भीतर

दिखाया जा सकता है , और यह कि किसी आदेश की वैधता उसके स्वरूप पर नहीं बल्कि उसके सार पर विचार करके आंकी जानी चाहिए। यह सिद्धांत तत्काल मामले पर पूरी शक्ति के साथ लागू होता है। यदि नियम सरकार को किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में अपने प्रावधानों में ढील देने में सक्षम बनाते हैं, तो की गई छूट को केवल इसलिए अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि पारित आदेश या जारी किए गए निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं कि संबंधित नियमों में निर्देशों द्वारा कवर किया गया क्षेत्र में ढील दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, वर्तमान मामले में भी, नियमों का उपर्युक्त नियम 20 छूट की शक्ति पर विचार करता है और राज्य सरकार को नियमों के प्रावधानों में ढील देने में सक्षम बनाता है। ऐसा होने पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह गंभीरता से तर्क दिया जा सकता है कि कार्यकारी निर्देशों द्वारा किया गया आरक्षण, - अनुबंध पी-2 के अनुसार, एक तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। पी. वी. एस. जनार्दन राव के मामले (सुप्रा) में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया है, जो अलग-अलग है क्योंकि यह इस फैसले से जुड़ा नहीं है कि नियमों में कोई छूट प्रदान की गई है या नहीं। वहाँ खोज में था; "वास्तव में, इसलिए, प्रशासनिक निर्देशों ने नियमों में काफी संशोधन किया है"। वर्तमान मामले में, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि प्रशासनिक निर्देशों ने नियमों में किसी भी तरह से संशोधन किया है। बल्कि, वर्तमान मामले में नियम आरक्षण के संबंध में चुप हैं और कार्यकारी निर्देशों द्वारा, वही प्रदान किया गया है और, कंवल प्रकाश मामले (सुपरसी) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के अनुसार, कार्यकारी अनुसूचित जातियों के लिए पदों को आरक्षित करने के निर्देश संविधान में निहित सर्वोच्च आदेश के अनुसार वैध रूप से जारी किए गए हैं और उनके प्रभाव को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा नियमों का नियम 20 राज्य सरकार को किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में नियमों में ढील देने के लिए अधिकृत करता है जैसा कि इस न्यायालय की पूर्ण

पीठ के समक्ष मामला था और इसलिए, अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण एक कार्यकारी द्वारा किया जा सकता है। आदेश और राज्य सरकार के लिए विधायी का सहारा लेना आवश्यक नहीं था; पैमाने।

(7) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका विफल होने पर लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दी जाती है।

आर.एन.आर

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी